

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:- 2692-2723

दिनांक 08.04.20

सचिव,

नगर विकास न्यास

समस्त राजस्थान


विषय:- फायर सैस के रूप में वसूल की गई राशि की सूचना
भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगर विकास न्यासों द्वारा फायर सैस के रूप में वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सूचना चाही गई है।

अतः आपकी नगर विकास न्यास द्वारा फायर सैस के रूप में दिनांक 04.10.2013 से 31.03.2020 तक की वसूली की गई राशि की सूचना आज ही निर्धारित प्रपत्र में विभाग की ईमेल आईडी-ceodlb@gmail.com तथा googal.endorid पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र-

क.सं.	नगर विकास न्यास का नाम	वसूला गया फायर सैस (राशि रूपय)


(उम्मेदसिंह मेहारा)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)

(टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:- 2688-2691

दिनांक 08.04.20

आयुक्त

विकास प्राधिकरण

जयपुर, जोधपुर एवं कोटा


विषय:- फायर सैस के रूप में वसूल की गई राशि की सूचना
भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विकास प्राधिकरणों द्वारा फायर सैस के रूप में वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सूचना चाही गई है।

अतः आपके प्राधिकरण द्वारा फायर सैस के रूप में दिनांक 04.10.2013 से 31.03.2020 तक की वसूली की गई राशि की सूचना आज ही निर्धारित प्रपत्र में विभाग की ईमेल आईडी-ceodlb@gmail.com तथा googal. endorid पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र-

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	वसूला गया फायर सैस (राशि रूपय)


(उम्मेदसिंह गोदारा)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टेलीफोन-0141-2222403, ई-मेल-dibrajasthan@gmail.com वेब साइट www.lsgraj.org)

क्रमांक:- 2483-2679

दिनांक 08.04.20

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ
समस्त राजस्थान

विषय:- फायर सैस के रूप में वसूल की गई राशि की सूचना
भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य की नगरीय निकायों द्वारा फायर सैस के रूप में वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा सूचना चाही गई है।

अतः आपकी निकाय द्वारा फायर सैस के रूप में दिनांक 04.10.2013 से 31.03.2020 तक की वसूली की गई राशि की सूचना आजही निर्धारित प्रपत्र में विभाग की ईमेल आईडी-ceodlb@gmail.com तथा googal. endorid पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र-

क्र.सं.	निकाय का नाम	वसूला गया फायर सैस (राशि रूपय)

(उम्मेदसिंह गोदारा)

वित्तीय सलाहकार

दिनांक: 08.04.20

क्रमांक: 2680-2687

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. उप निदेशक (क्ष0) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना आज ही निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने हेतु आपके क्षेत्राधिकार की निकायों को निर्देशित करें।

(उम्मेदसिंह गोदारा)

वित्तीय सलाहकार